**उत्तराखण्ड शासन**
**कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–4**
**संख्या–408/XXX(4)/2019–01(1)/2019**
**देहरादून: दिनांक 01 नवम्बर, 2019**

अधिसूचना संख्या–407/XXX(4)/2019–01(1)/2019, दिनांक 01 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रख्यापित "डा0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी (प्राविधिक व सामान्य) सेवा नियमावली, 2019" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 50 प्रतियां कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–4 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4– निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
5– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर/गार्ड फाईल।

**संलग्नक–यथोक्त।**

आज्ञा से,

(हेमा पाण्डे)
अनु सचिव

BAHUGUNA DRAFT

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग—4
संख्याः 407/XXX(4)/2019-01(1)/2019
देहरादून, दिनाँकः 01 नवम्बर, 2019

## अधिसूचना

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए डा0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के प्राविधिक सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

## डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी (प्राविधिक व सामान्य) सेवा नियमावली, 2019

### भाग एक—सामान्य

**संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ** 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी (प्राविधिक व सामान्य) सेवा नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

**सेवा की प्रास्थिति** 2. डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी प्राविधिक व सामान्य सेवा में समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

**परिभाषाएँ** 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में:—

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से—
उप पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, व्यवस्थाधिकारी, कैमरामैन, कलाकार (आर्टिस्ट), व्यायाम प्रशिक्षक, लाईनमैन, प्रोजेक्शनिस्ट, फोटो कॉपी मशीन आपरेटर व प्लम्बर के पद के लिये संयुक्त निदेशक (प्रशासन) अभिप्रेत है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 'भारत का संविधान' के भाग—2 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(घ) "महानिदेशक" से महानिदेशक, डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल अभिप्रेत है;

(ड़) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) से संयुक्त निदेशक (प्रशासन), डॉ0

आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) "आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ट) "सेवा" से डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी प्राविधिक व सामान्य सेवा अभिप्रेत है;

(ठ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो;

(ड) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(ढ) "अकादमी" से डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल अभिप्रेत है।

(ण) "मान्यता प्राप्त" से केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/संस्थान अभिप्रेत है।

(त) "सीधी भर्ती" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के माध्यम से चयन अभिप्रेत है।

## <u>भाग दो– संवर्ग</u>

**सेवा संवर्ग** **4.** (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जो परिशिष्ट–क में दी गयी है परन्तु उपबन्ध यह है कि –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

## भाग तीन– भर्ती

भर्ती का श्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी:–

समूह– 'ग'

| | | |
|---|---|---|
| (1) | उप पुस्तकालयाध्यक्ष | मौलिक रूप से नियुक्त पुस्तकालय एवं सूचना सहायक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा:<br>परन्तु यदि पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है। |
| (2) | पुस्तकालय एवं सूचना सहायक | सीधी भर्ती |
| (3) | व्यवस्थाधिकारी | सीधी भर्ती |
| (4) | कैमरामैन | सीधी भर्ती |
| (5) | कलाकार (आर्टिस्ट) | सीधी भर्ती |
| (6) | व्यायाम शिक्षक | सीधी भर्ती |
| (7) | लाइनमैन | सीधी भर्ती |
| (8) | प्रोजेक्शनिस्ट | सीधी भर्ती |
| (9) | फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर | सीधी भर्ती |
| (10) | प्लम्बर | सीधी भर्ती<br>परन्तु चयन वर्ष 2019–20 हेतु अकादमी में समूह 'घ' के पद पर कार्यरत ऐसे नियमित कर्मचारी, जो प्लम्बर पद का कम से कम 10 वर्षों का कार्य अनुभव रखतें हो, का एक बार के लिये समायोजन किया जा सकता है। |

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

## भाग चार–अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंज़ानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका ओर जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

**टिप्पणी:** जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रुप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

**शैक्षिक अर्हता 8.** सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये:–

(1) **उप पुस्तकालयाध्यक्ष**

(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि,

(दो) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि, परन्तु पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि धारक को वरियता दी जायेगी,

(तीन) कम्प्यूटर परिचालन में 01 वर्ष का डिप्लोमा,

(2) **पुस्तकालय एवं सूचना सहायक**

(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि,

| | | |
|---|---|---|
| | | (दो) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि,<br>(तीन) कम्प्यूटर परिचालन में 01 वर्ष का डिप्लोमा, |
| (3) | व्यवस्थाधिकारी | (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।<br>(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कैटरिंग और होटल मैनेजमेन्ट में डिग्री,<br>(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसे सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में न्यूनतम एक वर्ष का केटरिंग व हाउसकीपिंग में कार्य करने का अनुभव हो। |
| (4) | कैमरामैन | (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि,<br>(दो) फोटोग्राफी में एक वर्षीय डिप्लोमा व कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान,<br>(तीन) ऑडियो–विजुअल इक्यूपमेन्ट/साफ्टवेयर, डिजिटल फोटो व विडियों मिक्सिंग/एडिटिंग का कार्य करने में दो वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा। |
| (5) | कलाकार (आर्टिस्ट) | (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि,<br>(दो) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से ललित कला और चित्र कला में डिप्लोमा या उपाधि,<br>(तीन) इलेक्ट्रॉनिक चित्रकला में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले या डिजिटल पब्लिकेशन /डिजाईनिंग साफ्टवेयर का 01 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा। |
| (6) | व्यायाम प्रशिक्षक | (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि,<br>(दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बी0पी0एड0 या योग शिक्षा में न्यूनतम दो वर्ष का प्रमाण पत्र या उपाधि। |

| | | |
|---|---|---|
| (7) | लाइनमैन | (एक) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाईस्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो,<br>(दो) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम से कम दो वर्ष का विद्युत व्यवसाय का प्रमाण पत्र,<br>(तीन) सम्बन्धित ट्रेड में पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा। |
| (8) | प्रोजेक्शनिस्ट | (एक) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाईस्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो,<br>(दो) विभिन्न प्रकार के दृश्य–श्रव्य उपकरणों के संचालन का पूर्ण ज्ञान तथा 02 वर्ष का अनुभव रखता हो,<br>(तीन) सम्बन्धित ट्रेड में पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा, |
| (9) | फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर | (एक) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईस्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो,<br>(दो) फोटो कॉपी मशीन के संचालन का दो वर्ष का अनुभव तथा फोटो कॉपी मशीन का तकनीकी ज्ञान हो,<br>(तीन) सम्बन्धित ट्रेड में पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा। |
| (10) | प्लम्बर | (एक) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईस्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो,<br>(दो) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण–पत्र,<br>(तीन) सम्बन्धित ट्रेड में दो वर्ष का कार्यानुभव रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा। |

**अधिमानी अर्हतायें** 9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

**अनिवार्य एवं वांछनीय अर्हताएं** 10. नियम 5 के अधीन उल्लिखित पदों पर भर्ती हेतु अनिवार्य एवं वांछनीय अर्हताएं "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य एवं वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010" एवं समय–समय पर यथा संशोधित नियमावली के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

**आयु** 11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियॉ विज्ञापित की जाय, उस वर्ष की 01 जुलाई को ऐसे पद जिनकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष हो की भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा ऐसे पद जिनकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक अथवा समकक्ष हो की भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें, सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जायें, अधिकतम आयु–सीमा उतनी बढ़ायी जायेगी जितनी विहित की जाय।

**चरित्र** 12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

**टिप्पणी:** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

**वैवाहिक प्रास्थिति** 13. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हों:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

**शारीरिक योग्यता** 14. (1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् की परीक्षा में सफल हो गया है।

(2) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–II, भाग–III के अध्याय–III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है,

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण--पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि The Right of Persons with Disabilities Act-2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगो को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

## भाग पाँच– भर्ती की प्रक्रिया

**रिक्तियों का अवधारण** 15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

**सीधी भर्ती की प्रक्रिया** 16. नियम 5 के अधीन उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 एवं समय–समय पर यथा संशोधित नियमावली के उपबन्धों के अनुसार उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर से की जायेगी।

**पदोन्नति की प्रक्रिया** 17. (1) पदोन्नति, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर "उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002" एवं समय–समय पर यथा संशोधित नियमावली के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी, जो निम्नवत् होगी–

1. विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष
2. अपर विभागाध्यक्ष/समकक्ष अधिकारी — सदस्य
3. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी जो सम्बन्धित पद के पर्यवेक्षक की हैसियत रखते हों। — सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायं।

(3) चयन समिति द्वारा उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

**संयुक्त सूची** **18.** यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिए जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहें। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

## भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

**नियुक्ति** **19.** (1) उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 16, 17 अथवा 18 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोंतो से चयन न किया गया हो और नियम 18 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी।

**परिवीक्षा** 20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसी दिनांक विनिर्दिष्ट की जायेगी जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों पर पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न व अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

**स्थायीकरण** 21. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो ;

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो ;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो ;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ड.) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

**ज्येष्ठता** 22. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

## भाग सात–वेतन आदि

**वेतनमान** 23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट 'क' के अनुसार होगें।

**परिवीक्षा अवधि में वेतन** 24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण जहॉ विहित हो, पूरा कर लिया हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाये तो इस प्रकार बढाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

## भाग आठ–अन्य प्राविधान

अधियाचन 25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफरिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण 27. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उन मामलों में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी।

व्यावृत्ति 28. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसी आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट–"क"
(नियम–4(2) एवं नियम–23(2) देखें)
**सेवा की सदस्य संख्या और वेतनमान**

| क्र० सं० | पदनाम | वेतनमान | पदों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | | | स्थायी | अस्थाई |
| 1. | उप पुस्तकायालध्यक्ष | 44900–142400 (लेवल–7) | – | 1 |
| 2. | पुस्तकालय एवं सूचना सहायक | 35400–112400 (लेवल–6) | – | 1 |
| 3. | व्यवस्थाधिकारी | 44900–142400 (लेवल–7) | – | 1 |
| 4. | कैमरामैन | 35400–112400 (लेवल–6) | – | 1 |
| 5. | कलाकार (आर्टिस्ट) | 29200–92300 (लेवल–5) | – | 1 |
| 6. | व्यायाम शिक्षक | 29200–92300 (लेवल–5) | – | 1 |
| 7. | लाइनमैन | 19900–63200 (लेवल–2) | – | 1 |
| 8. | प्रोजेक्शनिस्ट | 19900–63200 (लेवल–2) | – | 1 |
| 9. | फोटो कॉपी मशीन आपरेटर | 19900–63200 (लेवल–2) | – | 1 |
| 10. | प्लम्बर | 19900–63200 (लेवल–2) | – | 1 |
| | | **योग–** | | **10** |

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव,
मा० मुख्यमंत्री, कार्मिक एवं सतर्कता,
सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन
उत्तराखण्ड शासन।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 407 /XXX(4)/2019-01(1)/2019, dated 01 November, 2019 for general information.

**Government of Uttarakhand,**
**Personnel & Vigilance Section-4,**
**No. 407/XXX(4)/2019-01(1)/2019,**
**Dehradun, Dated: 01 November, 2019**

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, Governor is pleased to make the following rules to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand service.

# Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration (Technical and General) Service Rules, 2019

## PART I-GENERAL

**Short title and commencement** 1. (1) These Rules may be called "Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration (Technical and General) Service Rules, 2019".

(2) It shall come into force at once.

**Status of Service** 2. The "Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration Technical and General Service comprises of Group- 'C' posts.

**Definitions** 3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context-

**(a)** 'Appointing Authority ' means-
for- "Deputy Librarian, Library and Information Assistant, Management Officer, Cameraman, Artist, Physical Training Instructor, Lineman (Electrician), Projectionist, Photo Copy Machine Operator and Plumber" is the Joint Director (Administration);

**(b)** 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

**(c)** 'Constitution' means the Constitution of India;

**(d)** 'Director General' means the "Director General of Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration, Nainital";

**(e)** "Joint Director (Administration)" means "Joint Director (Administration) of Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration, Nainital";

**(f)** 'Government' means the State Government of Uttarakhand;

**(g)** 'Governor' means the Governor of Uttarakhand;

**(h)** 'Commission' means 'Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission';

**(i)** 'Member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service;

(j) 'Service' means the 'Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration (Technical and General) service;

(k) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance, with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(l) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year;

(m) 'Academy' means 'Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration, Nainital';

(n) 'Recognized' means Institution/Universities established by law by Central/ State Government.

(o) 'Direct Recruitment' means recruitment through Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission.

## PART II-CADRE

**Cadre of Service** 4. (1) The employees/officers in the service and the number of posts in each category therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The employees/officers in the service and the number of posts in each category therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in Annexure 'A':

Provided that--

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(ii) The Governor may create such additional, permanent or temporary posts as he may consider proper.

## PART III-RECRUITMENT

**Source of recruitment** 5. Recruitment to various categories of post in the Service shall be made from the following sources:

**Group 'C':-**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | **Deputy Librarian** | By promotion from substantively appointed Librarian and Information Assistant who have completed five year service in such form on the first day of the year of recruitment by rejecting the unfit on basis of seniority:<br>Provided that when eligible person is not available then the post can be filled from direct recruitment. |
| (2) | **Library and Information Assistant** | Direct Recruitment |

| | | |
|---|---|---|
| (3) | **Management Officer** | Direct Recruitment |
| (4) | **Cameraman** | Direct Recruitment |
| (5) | **Artist** | Direct Recruitment |
| (6) | **Physical Training Instructor** | Direct Recruitment |
| (7) | **Lineman (Electrician)** | Direct Recruitment |
| (8) | **Projectionist** | Direct Recruitment |
| (9) | **Photo Copy Machine Operator** | Direct Recruitment |
| (10) | **Plumber** | Direct Recruitment<br>Provided that for the recruitment year 2019-20, regular employees working in the academy on the post of plumber having an experience of at least 10 years can be considered for adjustment. |

**Reservation** 6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, economically weaker section and other Categories of the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

## PART IV-QUALIFICATIONS

**Nationality** 7. It is essential that for direct recruitment to a post in the service the candidate must be:-

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin has migrated from Pakistan, Myanmar, Sri Lanka or any Eastern African country- Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently residing in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided further also that if any candidate is of above mentioned category (c), then the eligibility certificate will not be issued for more than a year and such candidate will be allowed to continue in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring the citizenship of India.

NOTE- Such Candidate for whom certificate of

eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be included in any examination or interview and he may also be appointed provisionally subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in favour of him.

**Academic Qualification**

8. A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the following qualifications:-

(1) **Deputy Librarian**
- (i) Graduation from a recognized University;
- (ii) Graduation in Library Science from recognized University. Provided that preference shall be given to candidates who have a post graduate degree in library science.
- (iii) Diploma of one year in computer operation.

(2) **Library and Information Assistant**
- (i) Graduation from a recognized University;
- (ii) Graduation in Library Science from recognized University;
- (iii) Diploma of one year in computer operation.

(3) **Management Officer**
- (i) Graduation from a recognized University;
- (ii) Degree in catering and hotel management from any Government recognized institute
- (iii) Preference shall be given to such candidates, who have an experience of working in catering and housekeeping for a minimum period of one year in any government or private establishment.

(4) **Cameraman**
- (i) Graduation from a recognized University;
- (ii) One year Diploma in photography and knowledge of computer operation.
- (iii) Preference shall be given to such candidates having two years of experience in audio visual equipment/ software, digital photo and video mixing/ editing work

(5) **Artist**
- (i) Graduation from a recognized University;
- (ii) Diploma or degree in fine arts and painting arts from a recognized university/institution
- (iii) Preference shall be given to candidates having degree or diploma in electronic designing/

| | | |
|---|---|---|
| | | painting or having practical experience of one year in digital publication/designing software. |
| **(6)** | **Physical Training Instructor** | (i) Graduation from a recognized University;<br>(ii) B.P.Ed. from a recognized institution OR minimum two years certificate or degree in yoga. |
| **(7)** | **Lineman** | (i) Have passed High school examination or equivalent from any recognized board/ Institution.<br>(ii) Certificate of Electrical trade from any recognized Industrial Training Institute of at least two years.<br>(iii) Preference shall be given to the candidate having a diploma from polytechnic in related trade. |
| **(8)** | **Projectionist** | (i) Have passed High school examination or equivalent from any recognized board/ Institution.<br>(ii) Has a complete knowledge of operation of different kind of audio visual equipment and has two years of experience.<br>(iii) Preference shall be given to the candidate having a diploma from polytechnic in related trade. |
| **(9)** | **Photo Copy Machine Operator** | (i) Have passed High school examination or equivalent from any recognized board/ Institution.<br>(ii) Has a technical knowledge of photocopy machine and has two years experience of operation of photocopy machine.<br>(iii) Preference shall be given to the candidate having a diploma from polytechnic in related trade. |
| **(10)** | **Plumber** | (i) Have passed high school examination or equivalent from any recognized board/ Institution.<br>(ii) Has a certificate in Plumber trade from any recognized industrial training institute.<br>(iii) Preference shall be given to the candidates having experience of two year in related trade. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Preferential qualification** | **9.** | | On other things being equal then such candidates shall be given preference in direct recruitment who has:- |
| | | **(i)** | served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or |
| | | **(ii)** | obtained **a** 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps |
| **Desirable/ Essential Qualifications** | **10.** | | Essential and desired qualifications for recruitment to the post mentioned under rule-5 shall be determined in accordance with the provision of 'The essential and desirable qualification for the recruitment of group 'C' post within the purview of Uttarakhand public service commission and outside the purview of public service commission Rules, 2010' as amended from time to time. |
| **Age** | **11.** | | Age of candidate for direct recruitment must be 18 years for the post whose minimum educational qualification is High school / Intermediate or equivalent and 21 years for the post whose minimum educational qualification is Graduation or equivalent, and not more than 42 years.<br>Provided that in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other such categories, who may be notified by the Government from time to time, the maximum age limit shall be increased by such number of years as may be prescribed. |
| **Character** | **12.** | | For direct recruitment to any post of the Service, the character of the candidate must be such as to render him suitable, in all aspects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this account.<br>**Note :** A person dismissed by the Union Government, or by any State Government, or any local Authority or any Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall not be eligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude also not be eligible. |
| **Marital Status** | **13.** | | A male candidate shall not be eligible for appointment to any post in the Service, if he has more than one living wife or a female candidate shall not be eligible, if she has more than one living husband:<br>Provided that the Government may exempt any person from the operation of this rule if satisfied that special grounds exists for doing so. |
| **Physical fitness** | **14.** | **(1)** | No candidate shall be appointed to any post in the Service unless he is in good mental and physical health and free from any physical defect which may likely to interfere in performing his duties efficiently. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass the examination of the Medical Board. |
| | | **(2)** | In case of other posts in service it is required to produce a medical certificate in accordance with rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter 3 of Part-3 of the Financial Handbook Volume-II Part-III.<br>Provided that the candidate appointed by promotion will not be required to produce a medical certificate of fitness.<br>Provided also that in reference to section 33 of The Right of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016) the |

post marked for this and in categories identified under section 34 person with disability shall not be denied appointment according to rules.

## PART V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

**Determination of vacancies** 15. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes economically weaker section and other categories belonging to the State of Uttarakhand under Rule 6.

**By direct recruitment** 16. Procedure for direct recruitment to the posts mentioned under rule 5 shall be done by Uttarakhand subordinate service selection commission in accordance with THE UTTARAKHAND PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT FOR GROUP 'C' POSTS (OUTSIDE THE PURVIEW OF UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION) RULES, 2008 as amended from time to time.

**Procedure for recruitment by promotion** 17. (1) Promotion shall be made on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, through the selection committee constituted in accordance with the "THE UTTARAKHAND CONSTITUTION OF DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (FOR POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) RULES, 2002 as amended from time to time, which shall be as follows:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Head of department/Appointing authority | - | Chairman |
| 2. | Additional head of department/Equivalent Officer | - | Member |
| 3. | Two such Gazetted Officers, to be nominated by the appointing authority, who hold the supervisory status for the concerned posts. | - | Member |

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of candidates arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the matter of candidates on the basis of the records, referred to in sub rule (2) and, if it considers necessary, committee may call the selected candidates for interview.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the list to the Appointing Authority.

**Combined list** 18. If in any year of recruitment appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists; in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list shall be of person appointed by promotion.

## PART VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

**Appointment** 19. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists

prepared under rules 16, 17 or 18 as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotions, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 18.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order, referred to in rule 18.

(4) The Appointing Authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list prepared under sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointments in such vacancy from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier.

**Probation**

**20.** **(1)** A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

**(2)** The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that except in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

**(3)** If it appears to the Appointment Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

**(4)** A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

**(5)** The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

**Confirmation**

**21.** **(1)** Subject to the provisions of sub rule (2) probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-

**(a)** he has passed the prescribed departmental examination, if any;

**(b)** he has successfully, undergone the prescribed training, if any;

**(c)** his work and conduct are reported to be satisfactory;

**(d)** his integrity is certified, and

**(e)** the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

**(2)** Where it is not necessary to follow provisions of Uttarakhand

Government servant Confirmation Rules 2002 for Confirmation, an order under sub rule (3) of Rule 5 of rules declaring that the concerned person has successfully completed the probation period shall be deemed the order of Confirmation.

**Seniority** 22. Seniority of the persons appointed substantively on the post of any category in the service, shall be determined in accordance with the provisions of Uttarakhand Government Servant Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

## PART VII-SALARY ETC.

**Scales of pay** 23. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scales of pay at the time of the Commencement of this Rules shall be according to Annexure 'A'

**Pay during probation** 24. (1) Notwithstanding any provision in the Principal Rules, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Principal Rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person who is already holding a permanent post under the Government, shall be regulated by the relevant Principal Rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

## PART VIII--OTHER PROVISIONS

**Canvassing** 25. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist directly or indirectly for his candidature, shall disqualify him for appointment.

**Regulation of other matters** 26. In regard to the matters which are not specifically covered by these rules or special orders, person appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

**Relaxation from the conditions of service** 27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service caused undue difficulty in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in

the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.

**Saving** **28.** Nothing in these shall affect reservations and other concessions required to the provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Economically weaker section, Other Backward Classes of citizens and other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,

(Radha Raturi)
Additional Chief Secretary

## Annexure- 'A'
**{See rule-4(2) and 23(2)}**
**Numbers of member of service and Pay Scale**

| Sr. No. | Designation | Pay Scale | No. of Posts | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Regular | Temporary |
| 1. | Deputy Librarian | 44900-142400 (Level-7) | - | 01 |
| 2. | Library and Information Assistant | 35400-112400 (Level-6) | - | 01 |
| 3. | Management Officer | 44900-142400 (Level-7) | - | 01 |
| 4. | Cameraman | 35400-112400 (Level-6) | - | 01 |
| 5. | Artist | 29200-92300 (Level-5) | - | 01 |
| 6. | Physical Training Instructor | 29200-92300 (Level-5) | - | 01 |
| 7. | Lineman | 19900-63200 (Level-2) | - | 01 |
| 8. | Projectionist | 19900-63200 (Level-2) | - | 01 |
| 9. | Photo Copy Machine Operator | 19900-63200 (Level-2) | - | 01 |
| 10. | Plumber | 19900-63200 (Level-2) | - | 01 |
| | | | **Total:** | **10** |

([illegible]आ रतूड़ी)
[illegible]र मुख्य सचिव,
[illegible]श्री, कार्मिक एवं सतर्कता,
[illegible]सन, सचिवालय प्रशासन
[illegible]ड शासन।